

**हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना**

दिनांक 27 अक्टूबर 2005

संख्या पी0सी0पी0(एन0 सी0 आर0)/ई डब्ल्यू/जी जी एन/23/सी ए/बी/2005/1672— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निर्मित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये अनुसार गांव बघंकी, जिला मेवात के राजकीय उच्च विद्यालय के ईर्द गिर्द दो किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात्:-

**अनुसूची**

गांव बघंकी, जिला मेवात के राजकीय उच्च विद्यालय के ईर्द गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1390/2005 दिनांक 15 जून, 2005, के साथ पढ़ा जाए।

**उत्तर :** बिन्दु 'ए' गांव ग्वालियर (हदबस्त संख्या 150), गांव नैनवाज (हदबस्त संख्या 155), और गांव बघंकी (हदबस्त संख्या 4), की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है, से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण की ओर गांव बघंकी (हदबस्त संख्या 4), की उत्तर-पूर्व सीमा ओर गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-2 बिन्दु 'बी' तक, जोकि गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), गांव नैनवाल (हदबस्त संख्या 155), और गांव बिसा अकबरपुर (हदबस्त संख्या 2), की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है।

**पूर्व:** तत्पश्चात दक्षिण की ओर बिन्दु 'बी' से गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-2 बिन्दु 'सी' तक जोकि गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), की आयत संख्या 19 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

**दक्षिण:** तत्पश्चात पश्चिम की ओर बिन्दु 'सी' से गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), की आयत संख्या 19 तथा 18 की दक्षिणा सीमा के साथ-2 इसी गांव की आयत संख्या 18 के दक्षिण -पश्चिम कोने तक, फिर उत्तर की ओर गांव खेरकी, हदबस्त संख्या 5, की आयत संख्या 18 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 इसके उत्तर-पश्चिम कोने तक फिर पश्चिम की ओर गांव खेरकी (हदबस्त संख्या 5), की आयत संख्या 12,13,14 और बघंकी और गांव (हदबस्त संख्या 4), की आयत संख्या 22,21 तथा 20 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'डी' तक, जहां यह गांव ग्वालियर (हदबस्त संख्या 150), की राजस्व सीमा से मिलती है।

**पश्चिम:** तत्पश्चात उत्तर की ओर बिन्दु 'डी' से गांव ग्वालियर (हदबस्त संख्या 150), की राजस्व सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**  
**Notification**

The 27<sup>th</sup> October, 2005

**No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1672.-** In exercise of the powers conferred by clause (b) sub-section (I) of section-4 of the Punjab scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declare the Area within a distance of two kilometres around Government High School, Village Badhanki, district. Mewat as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

**Schedule**

Schedule of boundaries of controlled area around Government High School, Village Baghanki (Hadbast No. 4) District Mewat to be read with the Drawing No DTP(G) 1390/2005, dated the 16<sup>th</sup> June 2005.

**North:** Starting from point "A" i.e. tri-junction of revenue boundaries of village Gwalior (Hadbast No.150), village Nainwal (Hadbast No.155) and village Baghanki (Hadbast No.4) towards South-East along North-East boundary of village Baghanki (Hadbast No. 4) and northern revenue boundary of village Kherki (Hadbast No.5) upto point 'B' i.e. tri-junction of revenue boundaries of village Kherki (Hadbast No.5) village Nainwal (Hadbast No.155) and village Bissar Akbarpur (Hadbast No.2).

**East:** Thence from point 'B' towards south along Eastern revenue boundary of village Kherki (Hadbast No.5) upto point 'C' i.e. south east corner of rectangle No. 19 of village Kherki (Hadbast No. 5).

**South:** Thence from point 'C' towards west along southern boundary of Rectangles No. 19 and 18 of village Kherki (Hadbast No. 5) upto south west corner of Rectangle No. 18 of same village, thence towards North along Western boundary of Rectangle No. 18 of village Kherki (Hadbast No. 5), upto its North -West corner, thence towards west along southern boundary of Rectangles No. 12,13 and 14 village Kherki, (Hadbast No. 5) and Rectangle Nos. 22,21 and 20 of village Baghanki (Hadbast No. 4) upto point 'D' where it meets the revenue boundary of village Gwalior (Hadbast No.150)

**West:** Thence from point 'D' towards North along revenue boundary of village Gwalior (Hadbast No.150) upto point 'A' i.e. the point of start.

**SHAKUNTLA JAKHU,**  
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government  
Haryana, Town and Country Planning Department.